न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 273 सन 2019
अनवान :–

1. सुमित्रा पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

2. दलीप कुमार पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. भवानी शंकर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर
4. मोहनलाल पुत्र भागाराम जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक भूमि जिसमें वादीया सवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से मनोज कुमार दर्ज हो गया जबकि वादीया के पति का सही नाम मुन्शीराम है वादीया के पति को मन्शीराम एवं मनोज कुमार दोनो नामा से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में मनोज कुमार दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादीया के पति का नाम मुन्शीराम दर्ज है सही नाम मन्शीराम है वादीया अपने पति का नाम सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादीया के पति का नाम मन्शीराम दर्ज है अर्थात सही नाम मुन्शीराम है

वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीया अपने पति का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक भूमि में वादीया के पति का नाम मनोज कुमार के स्थान पर मन्शीराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक भूमि जिसमें वादीया सवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से मनोज कुमार दर्ज हो गया जबकि वादीया के पति का सही नाम मुन्शीराम है वादीया के पति को मन्शीराम एवं मनोज कुमार दोनो नामा से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में मनोज कुमार दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादीया के पति का नाम मुन्शीराम दर्ज है सही नाम मन्शीराम है वादीया अपने पति का नाम सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादीया के पति का नाम मन्शीराम दर्ज है अर्थात सही नाम मुन्शीराम है

वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीया अपने पति का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक भूमि में वादीया के पति का नाम मनोज कुमार के स्थान पर मन्शीराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक भूमि वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से दर्ज है जिसमें वादीया के पति का नाम मनोज कुमार दर्ज है ।

वादी का कथन है कि उसके पति का सही नाम मुन्शीरमा है वादी के पति को मुन्शीराम एवं मनोज कुमार दोनो नामों से पुकारा जाता हे दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है सही नाम मुन्शीराम है यही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है

वादी के द्वारा प्ररतुत दरतावेजात वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में वादीया के पति का नाम मुन्शीराम दर्ज है

सरंपच ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादीया के पति का सही नाम मुन्शीराम है प्रार्थी के द्वारा प्ररतुत दरतावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर वादीया के पित का सही नाम मुन्शीराम होना प्रतीत होता है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के नाम संशोधन से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत चख्क सरदारपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक भूमि में वादीया के पति का नाम मनोज कुमार दर्ज है के स्थान पर मुन्शीराम उर्फ मनोज कुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुमित्रा पत्नी मुन्शीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

2. दलीप कुमार पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. भवानी शंकर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर
4. मोहनलाल पुत्र भागाराम जाति जाट साकिन चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 273 सन 2020 निर्णय दिनांक–11/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 14 की 12.7460हैक्ट भूमि में वादीया के पति का नाम मनोज कुमार दर्ज है के स्थान पर मुन्शीराम उर्फ मनोज कुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner